

कार्यालय / फ़ैक्स: 05966-222792

देहरादून-:0135-2759796

ई-मेल:missionhortiuk@gmail.com

## निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड

### उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

पत्रांक २२५४ / Fruit Plants Empanelment / 2022-23


दिनांक:देहरादून:सितम्बर.....,2022

वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु लाईसेन्स धारक पौधालयों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण

(Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (Eoi)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सैक्टर एवं जिला सैक्टर एवं अन्य योजनाओं में वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौध(कीवी, गोल्डल कीवी, सेब, ऑडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, अखरोट, बादाम, पिकननट, हैजलनट, परसिमन (Persimmon) आदि) की प्रदेश में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु लाईसेन्स धारक पौधालयों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) के लिये रूचि की अभिव्यक्ति (Eoi) आमन्त्रित की जाती है।

अतः वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की दरें व विशिष्टियां निर्धारित प्रारूप में दिनांक 22.09.2022 को अपरान्ह 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप एवं शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

  
(डा० हरमिन्दर सिंह बवेजा)  
निदेशक, उद्यान

## निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

**वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों से कास्तकारों को  
लाभान्वित करने हेतु लाईसेन्स धारक पौधालयों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण  
(Empanelment) हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) की शर्तें**

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौध (कीवी, गोल्डल कीवी, सेब, ऑडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, अखरोट, बादाम, पिकननट, हैजलनट, परसिमन (Persimmon) आदि) की प्रदेश में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालयों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) आमन्त्रित की जाती है। उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के पंजीकरण हेतु शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. उत्तराखण्ड के मान्यता प्राप्त (Accredited) या लाईसेन्स धारक पौधालयों में उपलब्ध वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्चगुणवत्ता युक्त फल पौधों को प्राथमिकता के आधार पर विभागीय दरों पर उपयोग किया जायेगा। प्रदेश के पौधालयों में जिन फल प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हीं फल प्रजातियों के पौधों को EoI के माध्यम से पंजीकृत पौधालयों से प्राप्त किया जायेगा।
2. इस कार्यालय के पत्रांक 2820 / **Fruit Plants Registration/2021-22**, दिनांक 30.12.2021 से पंजीकृत पौधालयों का पंजीकरण यथावत रहेगा, जिन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
3. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। आवेदन के प्रारूप तकनीकी प्रपत्र-1 के साथ आवेदन शुल्क के रूप में बैंक का ड्राफ्ट रू० 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
4. वित्तीय प्रपत्र-2 के अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
5. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू० 2.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।
7. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर "उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के पंजीकरण हेतु आवेदन" अंकित हो दिनांक 22.09.2022 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून में जमा करना होगा।
8. विभाग द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांक 23.09.2022 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा। उसी दिन पौधालयों के स्वामी/प्रतिनिधियों से मोल-भाव (Negotiation) हेतु बैठक की जायेगी।
9. उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का पंजीकरण दिनांक 31.03.2023 तक वैध होगा। परन्तु NHB/ICAR से मान्यता प्राप्त (Accredited) राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखों की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होंगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।
10. पंजीकरण की जाने वाली पौधालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के नर्सरी एक्ट द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।

11. आवेदन प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, आवेदन के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का साहित्य संलग्न न किया जाय। पौधालयों के द्वारा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।
12. दरों के पंजीकरण के पश्चात् फल पौधों की आपूर्ति के समय जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा फल पौधों की गुणवत्ता, रोगरहित होने व मानक आदि के सम्बन्ध में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त सन्तोषजनक आख्या उपलब्ध कराने पर ही फल पौधों की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
13. प्रत्येक उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौधों पर स्वयं लॉक हो जाने वाले लेबल जो हैण्डलिंग (रखरखाव) तथा यातायात में आसानी से नहीं हटने वाले हों का उपयोग किया जायेगा, जिसमें फल पौध का नाम, प्रजाति का नाम, रूटस्टाक का नाम व पौधालय का नाम अंकित करना होगा।

**लेबल का नमूना—**

विवरण	अंकित किया जाय	विवरण	अंकित किया जाय
मान्यता प्राप्त (Accredited) या राज्य सरकार से लाईसेन्स धारक पौधालय का नाम व पता—	..... .....	फल पौध का नाम व प्रजाति—	..... .....
टैग संख्या—	.....	पंजीकरण संख्या—	.....
मूलवृत्त (Root Stock) का नाम—	.....	कलम किये गये मूल वृत्त की आयु तथा कलम करने की तिथि—	..... .....
प्रवर्धन की विधि—	.....	कलम (Scion)/बड वुड का श्रोत—	.....
उपचार का नाम व उपचार की तिथि—	..... .....	रोग एवं व्याधि से मुक्त हां या नहीं—	.....

14. पंजीकरण हेतु EoI प्रक्रिया की तिथि व समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति में निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।
15. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को होगा।
16. मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों/उद्यान विशेषज्ञ, कोर्टद्वारा से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकार अपनी आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसी भी पौधालय पौधे क्रय करने को स्वतन्त्र होगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध पर ही सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा भी कास्तकारों को उच्चगुणवत्तायुक्त पौधे उपलब्ध कराये जा सकते हैं। विभाग में पंजीकृत पौधालयों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों से क्रय कास्तकारों द्वारा स्वयं किया जाता है तो फल पौधों का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कास्तकार के बैंक खाते में DBT/RTGS के द्वारा किया जायेगा।
17. आवेदनकर्ता पौधालयों द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होंगे तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु पौधालयों के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

4

18. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पौधालयों के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
19. पंजीकरण उपरान्त पौधालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के रोपण एवं उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा तथा तकनीकी साहित्य निःशुल्क प्रदान करना होगा।
20. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि पौधालयों द्वारा आपूर्ति/विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पौधालयों की होगी।
21. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पौधालय अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस पौधालयों का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
22. पौधालयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
23. आयातित पौधों के नियमानुसार पूर्ण परीक्षण के उपरान्त ही उत्तराखण्ड राज्य के कास्तकारों को लाभान्वित किया जायेगा।
24. विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौधों के आयात हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का पालन करना होगा।
25. आयातित पौधे वायरस रहित, कीट एवं व्याधि रहित होने चाहिए। कास्तकारों को वायरस रहित, कीट एवं व्याधि रहित पौधों से ही लाभान्वित किया जायेगा तथा प्री क्वारन्टाईन एवं पोस्ट क्वारन्टाईन की प्रक्रिया अपनानी होगी।
26. विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के आयात किये जाने की दशा में फल पौधों का Quarantine Certificate बिलों के साथ उपलब्ध कराना होगा।
27. पौधालयों को किसानों की आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी।
28. कास्तकारों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पंजीकृत दरों से कम दरों पर आपूर्ति हेतु पौधालयों के स्वामी या प्रतिनिधियों से मोल-भाव (Negotiation) किया जा सकता है।
29. औद्योगिक फसलों का उत्पादन मौसम आधारित होने के दृष्टिगत जनपदीय अधिकारियों/कास्तकारों को निर्धारित समयान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।
30. उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के मानक व प्रोटोकॉल निम्नानुसार होंगें।
  - a. कल्मी पौधों का तना मजबूत हो, ग्राफ्ट का जुड़ाव सही हो, पौधे की लम्बाई 3 फीट से कम न हो, पौधे का शिखर परिपक्व हो तथा ग्राफ्ट एक वर्ष पुराना हो।
  - b. पौधों की वास्तविक किस्म (True To Type) उच्च गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित हो, की सत्यता के लिये नर्सरी स्वामी से ₹0 100.00 नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ लेनी होगी, ताकि फल पौध रोपण सामग्री, गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित नहीं पाये जाने पर पौधालय स्वामी के विरुद्ध विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
  - c. पौधों में पर्याप्त मात्रा में जड़ें विकसित हों तथा मुख्य जड़ कटी न हो।
  - d. पौधों के खुदान करने के कम से कम 05 दिन बाद ही पौधों का उठान किया जायेगा।
  - e. पौध उठान से पूर्व प्रजाति की सत्यता पूर्णतः सत्यापित कर लिया जाय। पौधों के बिल प्रजाति के अनुसार ही तैयार किया जाय। तदनुसार ही कृषकों को प्रजाति के विवरण सहित फल पौध उपलब्ध कराते हुये अभिलेख अनुरक्षित रखे जाय, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे।
  - f. पौधों की पैकिंग उच्च गुणवत्तायुक्त हो, जिसमें मौस घास का प्रयोग उचित एवं पर्याप्त मात्रा में किये गया हो।
  - g. फल पौध रोपण कार्य की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसे जनपद मुख्यालय पर अनुरक्षित किया जायेगा।



निदेशक, उद्यान

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड  
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों (कीवी, गोल्डल कीवी, सेब, ऑडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, अखरोट, बादाम, पिकननट, हैजलनट, परसिमन (Persimmon) आदि) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु लाईसेन्स धारक पौधालयों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण (Empanelment) हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु आवश्यक अभिलेख

प्रपत्र-1 तकनीकी बिड

क्र.सं	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	आवेदकर्ता पौधालय की प्रोफाइल, नाम व पता- (पौधालय के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
2	आवेदक को अपने पैड पर पौधालय की विस्तृत प्रोफाइल संलग्न करनी होगी।	
3	रुचि की अभिव्यक्ति (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण - बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... धनराशि ₹0 2360.00 निदेशक उद्यान चौबटिया, रानीखेत के नाम देय हो।	
4	बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, का विवरण- बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद संख्या..... बैंक का नाम..... वैधता तिथि..... .....धनराशि ₹0 2.00 लाख	
5		
6	पौधालय का जी.एस.टी. नम्बर-..... (यदि है तो छायाप्रति संलग्न करें)	
7	पौधालय का उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौध उत्पादन के लाईसेन्स की छायाप्रति।	
8	पौधालय द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों उत्पादन एवं आपूर्ति का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र या साक्ष्य संलग्न करना होगा।	
9	पौधालय के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र ₹0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।	
10	उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की प्रजाति, रूटस्टाक का प्रकार एवं उत्पादन की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की प्रजाति, रूटस्टाक एवं उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।	
11	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डिस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक पौधालय को अपने पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।	
12	विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के आयात करने की दशा में आवेदक पौधालय को भारत सरकार द्वारा पौध रोपण सामग्री आयात सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।	
13	पौधालय द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer - Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
14	पौधालय द्वारा पिछले 05 वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से कम से कम 10 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का नाम, रूटस्टॉक का नाम, प्रजाति, फल पौधों की संख्या, रोपण का वर्ष व फल पौधों का परिणाम सहित सूची संलग्न करनी होगी।	
15	पौधालय को ₹0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरें न्यूनतम हैं। दी गई दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है तथा पंजीकरण की अवधि में भी नहीं की जायेगी।	

16	पौधालय द्वारा लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध में पौधालय के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
17	पौधालय द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/इयूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पौधालय स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान को तत्काल उपलब्ध करायेगें (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
18	पौधालय द्वारा पंजीकरण उपरान्त उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि:शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
19	पौधालय द्वारा विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे। रूचि की अभिव्यक्ति (Eoi) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता पौधालय के स्वामी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होंगे तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु पौधालय के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है। संलग्न अभिलेखों में क्रमांक लिखना आवश्यक है। संलग्न प्रपत्र का क्रमांक तकनीकी प्रपत्र में भी लिखना आवश्यक है।

शपथ पत्र— मेरे द्वारा उपरोक्त रूची की अभिव्यक्ति (Eoi) की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तों पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

३

पौधालय के स्वामी या अधिकृत प्रतिनिधि के  
हस्ताक्षर व मुहर, नाम व पता सहित  
मो0 न0 व ई-मेल

